

D (Printed Pages 4)
 (20221) Roll No.....
 B.A.LL.B.-V Sem.

NS-3443

B.A.LL.B. Examination, Dec.-2020

CONSTITUTIONAL LAW OF INDIA-I

(Nature of the Constitution and

Fundamental Rights)

(BL-503)

(New)

Time : Three Hours] [Maximum Marks : 100

Note : Attempt all the sections as per instructions.

नोट : सभी खण्डों को निर्देशानुसार हल कीजिए।

Section-A/खण्ड-क

20% of Max Marks

(Very Short Answer Questions)

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt all five questions. Each question carries 4 marks. Very short answer is required not exceeding 75 words. $4 \times 5 = 20$

नोट : सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है।

P.T.O.

1. Against whom Fundamental Rights are available?
मूल अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त हैं?
2. Abolition of untouchability
अस्पृश्यता का अन्त
3. Right to Education.
शिक्षा का अधिकार
4. Secular Characters of the constitution of India.
भारत के संविधान का पंथ-निरपेक्ष स्वरूप
5. Are the Directive Principles of state policy enforceable?
क्या राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को लागू किया जा सकता है?

Section-B/खण्ड-ख

20% Max. Marks

(Short Answer Questions)

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any two questions out of the following 3 questions. Each question carries 10 marks. Short answer is required not exceeding 200 words.

$10 \times 2 = 20$

नोट : निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। अधिकतम 200 शब्दों में उत्तर अपेक्षित है।

6. Describe the Fundamental Duties prescribed in Article 51-A of the constitution of India.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 51-A में वर्णित मूल कर्तव्यों को वर्णित करें।

NS-3443/2

7. 'The Preamble of the constitution of India sets out the main objectives which the constitution makers wanted to achieve'. discuss the statement.
 भारत के संविधान की उद्देशिका में वें मुख्य उद्देश्य नीहित हैं, जो कि संविधान निर्माता प्राप्त करना चाहते थे। इस कथन की व्याख्या कीजिये।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 वर्ग विधायन का प्रतिषेध करता है, परन्तु वर्गीकरण का प्रतिषेध नहीं करता है? व्याख्या कीजिये।

8. What remedies can be enforced under Article 32 of the Constitution of India?
 भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन क्या उपचार लागू किये जा सकते हैं?

11. No person shall be deprived of his life on Personal liberty except according to procedure established by Law. Explain with the help of decided cases.
 किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा, अन्यथा नहीं। निर्णीत मामलों की सहायता से व्याख्या कीजिए। <https://www.ccsustudy.com>

Section-C/खण्ड-ग

60% Max. Marks

(Detailed Answer Questions)

(विस्तृत उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any **three** questions out of the following **5** questions. Each question carries **20** marks. Answer is required in detail. $20 \times 3 = 60$

नोट : निम्नलिखित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न **20** अंक का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है।

9. 'The Constitution of India is Federal in form but unitary in substance.' Discuss. 'भारत के संविधान का स्वरूप संघात्मक है परन्तु उसका सार एकात्मक है।' विवेचना कीजिये।

10. 'Article 14 of the Constitution of India forbids class legislation. But does not forbid classification'. Explain.

12. Discuss the scope of freedom of speech and expression provided in the constitution of India.
 भारत के संविधान में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए।

13. Directive Principles of state Policy and Fundamental Rights are complementary and supplementary to each other and both striving to secure Socio-economic welfare by ensuing a social order in which Justice and individual liberty are safeguarded'. Comment.
 'राज्य की नीति के निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक व अनुपूरक हैं। तथा दोनों ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करके सामाजिक आर्थिक कल्याण करने में प्रयासरत हैं जिसमें न्याय तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित रहे।' टिप्पणी लिखें।

13. Directive Principles of state Policy and Fundamental Rights are complementary and supplementary to each other and both striving to secure Socio-economic welfare by ensuing a social order in which Justice and individual liberty are safeguarded'. Comment.

'राज्य की नीति के निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक व अनुपूरक हैं। तथा दोनों ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करके सामाजिक आर्थिक कल्याण करने में प्रयासरत हैं जिसमें न्याय तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित रहे।' टिप्पणी लिखें।